रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052025-263033 CG-DL-E-10052025-263033

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 2025/वैशाख 20, 1947 NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 2025/VAISAKHA 20, 1947

No. 261]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2025

सं. 03/2025-सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 304(अ).— जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "टेक्सचरड टाफेनेड (टेम्पर्ड) कोटेड एंड उन्काटेड ग्लास" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/32/2023-डीजीटीआर, दिनांक 11 फरवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

- (i) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था;
- (ii) प्रश्नगत उत्पादों को आर्थिक सहायता मिलने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

3114 GI/2025 (1)

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है,

और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पिठत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन शीर्षक के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उक्त विषयगत वस्तु के अवतरण मूल्य और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उसके संदर्भ मूल्य के रूप में विनिर्दिष्ट राशि के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते कि ऐसा अवतरण मूल्य कॉलम (7) में दर्शायी गई राशि से कम हो, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है, यथा :-

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541*	टेक्सचरड टेम्पर्ड (टेम्पर्ड) कोटेड और उन्काटेड ग्लास **	वियतनाम	वियतनाम	फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड	593	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	पर उल्लिखित क्र. सं. 1 के अलावा कोई भी उत्पादक	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	वियतनाम सहित कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी उत्पादक	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

^{*} सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

^{**} बनावट वाला कड़ा (टेम्पर्) गलास जिसकी मोटाई न्यूनतम 90.5% संचरण 4.2 मिमी (0.2 मिमी कीसहनशीलता सिहत) से अधिक न हो और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक हो, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड। उत्पाद को सौर ग्लास, सौर गलास कम लोहा, सौर पीवी गलास, उच संचरण फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड कम लोहे के पैटर्न वाले सौर गलास और गर्मी से मजबूत गलास जैसे विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है।

नोट 1: यह ध्यान दिया जाए कि उपरोक्त सीरियल नंबर 1 से 3 के लिए, एंटी-डंपिंग शुल्क पहले से ही डीजीटीआर द्वारा अंतिम निष्कर्ष एफ. संख्या 6/29/2023-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी, 2025 के तहत विषयगत वस्तुओं के लिए अनुशंसित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 11/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 8 मई 2025 के तहत लगाया गया है, इसलिए, उपरोक्त शुल्क तालिका के कॉलम 7 के तहत निर्दिष्ट संदर्भ मूल्य के आधार पर एकत्र किए जाने वाले शुल्क की राशि एंटी-डंपिंग शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि से कम हो जाएगी।

2. यह स्पष्ट करने के लिए कि प्रतिपाटन शुल्क और काउंटरवेलिंग ड्यूटी दोनों कैसे संचालित होंगी, नीचे उदाहरण दिए गए हैं:

परिदृश्य: जब प्रतिपाटन शुल्क (ड्यूटी का संदर्भ रूप) और काउंटरवेलिंग ड्यूटी (ड्यूटी का संदर्भ रूप) दोनों लागू होते हैं

- (क) भाग लेने वाले उत्पादक के लिए संदर्भ-आधारित शुल्क 593 अमेरिकी डॉलर प्रित मीट्रिक टन है। यदि फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड द्वारा विषय वस्तु के लिए भारत को निर्यात का लैंडेड मूल्य 500 अमेरिकी डॉलर प्रित मीट्रिक टन है, तो प्रतिपाटन शुल्क 70 अमेरिकी डॉलर प्रित मीट्रिक टन (570 अमेरिकी डॉलर प्रित मीट्रिक टन घटा 500 अमेरिकी डॉलर प्रित मीट्रिक टन) होगा और काउंटरवेलिंग शुल्क 23 अमेरिकी डॉलर प्रित मीट्रिक टन (593-500-70) होगा।
- (ख) भाग लेने वाले उत्पादक के लिए संदर्भ-आधारित शुल्क 593 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है। यदि फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड द्वारा विषयगत वस्तु के लिए भारत को निर्यात का पहुंच मूल्य 580 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है, तो प्रतिपाटन शुल्क शून्य अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (570 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन घटा 580 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) होगा और काउंटरवेलिंग शुल्क 13 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (593-580) होगा।
- (ग) भाग लेने वाले उत्पादक के लिए संदर्भ-आधारित शुल्क 593 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है। यदि फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड द्वारा विषयगत वस्तु के लिए भारत को निर्यात का पहुंच मूल्य 600 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है, तो प्रतिपाटन शुल्क शून्य अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (570 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन घटा 600 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) होगा और काउंटरवेलिंग शुल्क भी शून्य अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (593-600) होगा।
- 3. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया काउंटरवेलिंग शुल्क आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लगाया जाएगा (जब तक कि इससे पहले इसे रद्द, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया जाता है) और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण: - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के काउंटरवेलिंग शुल्क की गणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय की दर वह दर होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में निर्दिष्ट है, जो समय-समय पर जारी की जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, और विनिमय दर के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथि उक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत बिल ऑफ एंट्री की प्रस्तुति की तिथि होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/88/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2025

No. 03/2025-Customs (CVD)

G.S.R. 304(E).— Whereas, in the matter of "Textured Toughened (Tempered) Coated or Uncoated Glass" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 *vide* notification F. No. 6/32/2023-DGTR, dated the 11th February, 2025, has come to the conclusion that-

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at subsidized prices, leading to subsidisation of the subject goods;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury due to subsidisation of the subject goods;
- (iii) the material injury has been caused by the subsidised imports of the subject goods originating in or exported from the subject country,

and has recommended the imposition of countervailing duty on import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the Designated Authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a countervailing duty calculated as a difference between the landed value of the subject goods and the reference price amount specified in the corresponding entry in column (7), provided the landed value is less than the value indicated in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Heading	Description of Good	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(4)			J	-			(0)	(0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541*	Textured Toughened (Tempered) Coated and Uncoated Glass**	Vietnam	Vietnam	Flat (Vietnam) Co., Ltd	593	MT	USD
2.	-do-	-do-	Vietnam	All countries including Vietnam	Any Producer other than producer mentioned in serial number 1	664	MT	USD
3.	-do-	-do-	All countries other than Vietnam	Vietnam	Any	664	МТ	USD

^{*}The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.

**Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated. The product is also known by various other names such as solar glass, solar glass low iron, solar PV glass, high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass and heat strengthened glass.

Note 1: It may be noted that for Serial No. 1 to 3 above, the anti-dumping duties are already recommended by DGTR vide final findings F. No. 6/29/2023-DGTR dated 10th February, 2025 for the subject goods and imposed by the Central government vide Notification No. 11/2025-CUSTOMS(ADD) dated 8th May 2025, therefore, the amount of duty to be collected based on the reference price specified under column 7 of the duty table above shall stand reduced by the amount paid by way of anti-dumping duty.

- 2. To clarify how both anti-dumping duty and anti-subsidy duty will operate, illustrations are provided below: Scenario: When both ADD (reference form of duty) and CVD (reference form of duty) are applicable
- (a) The reference-based duty for the participating producer is USD 593/MT. If the landed value of exports to India by Flat (Vietnam) Co., Ltd for the subject good is USD 500/MT, the anti-dumping duty would be USD 70 / MT (USD 570/MT minus USD 500 / MT) and countervailing duty will be USD 23 / MT (593-500-70).
- (b) The reference-based duty for the participating producer is USD 593/MT. If the landed value of exports to India by Flat (Vietnam) Co., Ltd for the subject good is USD 580/MT, the anti-dumping duty would be USD Nil / MT (USD 570/MT minus USD 580/ MT) and countervailing duty will be USD 13 / MT (593-580).
- (c) The reference-based duty for the participating producer is USD 593/MT. If the landed value of exports to India by Flat (Vietnam) Co., Ltd for the subject good is USD 600/MT, the anti-dumping duty would be USD Nil / MT (USD 570/MT minus USD 600/ MT) and countervailing duty will also be USD Nil / MT (593-600).
- 3. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation: – For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190341/88/2025-TRU] DHEERAJ SHARMA, Under Secy.